न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 237/2023 **GCMS No – 2023/18**

1. शंकर पुत्र श्रीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम गुढा मीणा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. प्रहलाद पुत्र श्री नारायण जाति मीना निवासी ग्राम गुढा मीणा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. बालूराम पुत्र श्री नारायण जाति मीना निवासी ग्राम गुढा मीणा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. श्रीनारायण पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम गुढा मीणा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. कैलाशचन्द दत्तक पुत्र श्री रामनिवास पुत्र श्री महादेव जाति मीना निवासी ग्राम गुढा मीणा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. रामकुंवार पुत्र श्री महादेव जाति मीना निवासी ग्राम गुढा मीणा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

............रेस्पाडेन्टस

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश कमांक/भू. अ./2022/10290 दिनांक 19.10.2022 ग्राम गुढामीणा तहसील बस्सी स्थित खसरा नंबर 181 के सीमा ज्ञान किये जाने के आदेश तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 17.11.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बस्सी के सीमा ज्ञान आदेश दिनांक 19.10.2022 बाबत खसरा नंबर 181 वाके ग्राम गुढामीणा, तहसील बस्सी पारित किये गये जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 24.01.2023 को न्यायालय हाजा में पेश की गयी। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की मिसल तलब की गयी। रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नही आया। रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा ने पावर पेश किया। रेस्पा संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमा ज्ञान पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की गयी । पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। पत्रावली पर उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

विद्‌वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वाके ग्राम गुढामीणा, तहसील बस्सी स्थित आराजी खसरा नंबर 181 कुल किता 1 कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर रेस्पा0 संख्या 1 व 2 द्वारा आवेदन तहसीलदार तहसील बस्सी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर तहसीलदार बस्सी द्वारा अपने आदेश कमांक/भू. अ./2022/10290 दिनांक 19.10.2022 द्वारा उक्त खसरा नंबर 181 का मौके पर सीमा

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

ज्ञान किये जाने के आदेश पारित किये गये जबकि रेस्पा0 का स्वयं का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी में विचाराधीन है। तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित आदेश बिना पडौसी खातेदारो की सुनवाई किये बिना केवल मात्र खसरा नंबर 181 के सीमा ज्ञान आदेश पारित किये गये है। खसरा नंबर 181 के साथ खसरा नंबर 162 गै.मु. आबादी का भी सीमा ज्ञान आवश्यक है। खसरा नंबर 166 गैर मुमकिन रास्ता के पश्चात खसरा नंबर 162 गै0मु0आबादी में अपीलांट के मकानात व दुकानात बने है। कानूनन गैर मुमकिन आबादी के बाबत सीमा ज्ञान बिना भूप्रबन्ध विभाग की सहायता के सम्भव नहीं है, इसलिए प्रश्नाधीन सीमा ज्ञान आदेश दिनांक 19.10.2022 निरस्तनीय है। खसरा नंबर 181 की भूमि के पश्चिम की ओर रास्ते के पश्चात खसरा नंबर 162 की भूमि है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 162 की भूमि की नाप करवाये बिना खसरा नंबर 181 के सीमा ज्ञान आदेश पारित किये है जो न्यायोचित नहीं है। खसरा नंबर 181 के सीमा ज्ञान हेतु कोई मुस्तकिल बिन्दु नहीं लिया गया है जिससे अपीलांट के कब्जे की भूमि भी सीमा ज्ञान से प्रभावित होती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त अनुसार न्याय के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिये खसरा नंबर 178, 179, 180, 182 का सीमा ज्ञान किया जाना आवश्यक है इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलांट संख्या 2 को दिनांक 13.12.2022 को अपीलाधीन सीमा ज्ञान आदेश की जानकारी हुयी जिस पर अपीलांट ने अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित सीमा ज्ञान आदेश कमांक/भू.अ./2022/10290 दिनांक 19.10.2022 बाबत ग्राम गुढा मीणा, तहसील बस्सी निरस्त किया जावे।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि रेस्पा0 संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सीमा ज्ञान हेतु ग्राम गुढा मीणा, तहसील बस्सी स्थित खसरा नंबर 181 के सीमा ज्ञान हेतु आवेदन किया है एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा के समक्ष नियमानुसार शुल्क जमा कराया गया। जिस पर तहसीलदार बस्सी द्वारा नियमानुसार अपीलाधीन सीमा ज्ञान आदेश दिनांक 19.10.2022 पारित किया गया है। अपीलांट खसरा नंबर 162 की भूमि में स्थित है जो वर्तमाान में गै0मु0आबादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं खसरा नंबर 181 व 162 के मध्य रास्ता नक्शे में दर्ज है। खसरा नंबर 181 के सीमा ज्ञान से अपीलांट के कोई हित प्रभावित नहीं होते है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर अपील पेश की है इसलिए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन सीमा ज्ञान आदेश नियमानुसार पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन सीमा ज्ञान आदेश की प्रमाणित छायप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पर तहसीलदार बस्सी द्वारा` निर्धारित शुल्क जमा कर अपीलाधीन सीमा ज्ञान आदेश दिनांक 19.10.2022 पारित किये गये है। तहसीलदार बस्सी के सीमा ज्ञान आदेश की पालना में दिनांक 08.12.2022 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंबर 161 गै0मु0चाह से जरीक चलाकर खसरा नंबर खसरा नंबर 181 की उत्तरी पश्चिमी मेड का सीमा ज्ञान किया गया। अपीलांट द्वारा स्वयं को खसरा नंबर 162 वाके ग्राम गुढा मीणा में स्वयं काबिज होना बताया है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार खसरा नंबर 162 की भूमि ग्राम पंचायत की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है एवं खसरा नंबर 162 की भूमि पर अपने हक अधिकार के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये है। खसरा नंबर 181 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन सीमा ज्ञान आदेश पारित किये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा नंबर 181 एवं खसरा नंबर 162 के राजसव नक्शे के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नंबर 181 एवं 162 के मध्य राजस्व नक्शे में रास्ता है इसलिए आलौच्य सीमा ज्ञान आदेश से अपीलांट किस प्रकार प्रभावित होते है अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम
जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर सत्यमेव जयते